कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर

अतिअल्पकालीन ई–निविदा सूचना

पत्रांकः- 968 /न0पा0परि0मो0/2019 दिनांक 28 फरवरी, 2019

नगर पालिका परिषद मोदीनगर को पथ प्रकाश विभाग, ग्रहकर विभाग, सामान्य विभाग, निर्माण विभाग, उद्यान विभाग, जन्म-मृत्यु विभाग आदिकार्य हेतु आउटसोर्सिंग पर निम्नानुसार कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु **एक वर्ष** (स्वीकृति की दिनॉक से एक वर्ष की अवधि के लिए) के लिए पालिका के पंजीकृत अनुभवी रजिस्टर्ड फर्मो से निर्धारित पारिश्रमिक की दर पर ई-निविदा दिनांक 22.03.2019 को सांय 05-00 बजे तक ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाईट http//:etender.up.nic.inपर ऑनलाईन के माध्यम सेआमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्ते तथा विस्तृत विवरण ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाईट http//:etender.up.nic.in पर तथा नगर पालिका परिषद मोदीनगर की बैवसाईट www.nppmodinagar.com पर भी देखा जा सकता है। निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन मात्र पालिका की बैवसाईट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।

28-02-19
(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी

(अशोक माहेश्वरी)
अध्यक्ष

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- संपादक दैनिक समाचार पत्र शाह टाईम्स एवं दैनिक जनवाणीको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निविदा सूचना को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान मे प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 05 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- श्री अंकित गोयल, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को नगर पालिका की बैवसाईट www.nppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4- नगर पालिका परिषद, मोदीनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

28-02-19
(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर

पत्रांकः- 968 /न0पा0परि0मो0/2019 दिनांक 28 फरवरी, 2019

नगर पालिका परिषद मोदीनगर को पथ प्रकाश विभाग, ग्रहकर विभाग, सामान्य विभाग, निर्माण विभाग, उद्यान विभाग, जन्म-मृत्यु विभाग आदिकार्य हेतु आउटसोर्सिंग पर निम्नानुसार कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु **एक वर्ष** (स्वीकृति की दिनॉक से एक वर्ष की अवधि के लिए) के लिए पालिका के पंजीकृत अनुभवी रजिस्टर्ड फर्मो से निर्धारित पारिश्रमिक की दर पर ई-निविदा दिनांक 22.03.2019 को सांय05-00 बजे तक ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाईट http//:etender.up.nic.inपर ऑनलाईन के माध्यम सेआमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ धरोहर धनराशि रु0 1,00,000/-(एक लाख) मात्र एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य पृथक-पृथक रूप से नगर पालिका परिषद मोदीनगर के **भारतीय स्टेट बैंक** के खाता संख्या **38191910510,IFSC SBIN0002348** में जमा करना अनिवार्य होगा तथा उक्त ट्रांजेक्शन की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी। निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने पर निविदि तिथि अगले कार्यदिवस को मानी जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद में निहित होगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्ते तथा विस्तृत विवरण ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाईट http//:etender.up.nic.inपर तथा नगर पालिका परिषद मोदीनगर की बैवसाईटwww.nppmodinagar.comपर भी देखा जा सकता है।

निविदा डाउनलोड करने की तिथिः- **निविदा प्रकाशन की दिनॉक से।**
निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथिः- **22.03.2019 सांय 05.00 बजे तक।**
निविदा खोलने की तिथिः- **23.03.2019 अपरान्ह 11.30 बजे।**

क0 सं0	कार्य का विवरण	कर्मचारियो की अनुमानित संख्या	दर प्रतिदिन	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र क मूल्य	अवधि
1	इलैक्ट्रिशियन(आवश्यक्ता होने पर),	04 कर्मचारी	425/– प्रतिदिन	1,00,000–00	1000+5%GST = 1050	एक वर्ष (स्वीकृति की दिनॉक से एक वर्ष की अवधि के लिए)
2	बेलदार,	08 कर्मचारी	290/– प्रतिदिन			
3	मिस्त्री(निर्माण)	04 कर्मचारी	440/– प्रतिदिन			
4	टैक्नीकल सुपरवाईजर	01 कर्मचारी	593/– प्रतिदिन			
5	ड्राईवर,	03 ड्राईवर	250/– प्रतिदिन			
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर,	08 कर्मचारी	16771/– प्रतिमाह			
7	कार्यालय सहायक,	14 कर्मचारी	250/– प्रतिदिन			
8	लेखपाल/रिटायर लेखपाल	02 कर्मचारी	10000/– प्रतिमाह			
9	माली	20 कर्मचारी	300/– प्रतिदिन			

शर्तेः-

1- यह ठेका **एक वर्ष** (स्वीकृति की दिनॉक से एक वर्ष की अवधि के लिए) तक के लिए मान्य होगा।

2- क्रम संख्या 07 कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु भुगतान की जाने वाली **16771/–प्रतिमाह** अधिकमत मासिक धनराशि (समस्त टैक्स/जी0एस0टी0एवंअन्य कटौतियों सहित) है।

3- सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि नगर पालिका परिषद मोदीनगर के **भारतीय स्टेट बैंक** के खाता संख्या **38191910510,IFSC SBIN0002348** में जमा करना अनिवार्य है, बिना धरोहर राशि के निविदा अवैध मानी जायेगी व सशर्त निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।

4- सेवाप्रदाता/फर्म को हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र के साथ आयकर/व्यापारकर/जी0एस0टी0, पैन नम्बर, टिन नम्बर एवं ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0आदि प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करने अनिवार्य होंगे।

5- संस्था यदि प्रोपराईटर फर्म है तो संस्था का पैनकार्ड तथा समस्त पार्टनरों के पैनकार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रोपराईटर सस्था की दशा मे प्रोपराईटर एवं संस्था दोनो के पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न की जायेगी।

6- किसी भी प्रमाण पत्र को मांगे जाने पर मूल रूप में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7- कर्मचारी को दिये जाने वाले मानदेय व अन्य भुगतान, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, जी0एस0टी0 आदि का स्पष्ट विवरण निविदा मे पृथक-पृथक दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

8- सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा कर्मियो को भुगतान नकद न करके, बैंक के माध्यम NEFT से करना व ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि जमा करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रतिमाह प्रमाण पत्र पालिका कार्यालय मे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में बिना कारण बताये ठेका निरस्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद मोदीनगर मे निहित होगा।

9- कर्मियो के ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, बीमे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता की सभी जिम्मेदारी औद्योगिक नियमो के अनुकूल सेवाप्रदाता/फर्म की होगी।

10-सेवाप्रदाता/फर्म को गत तीन वर्षो की अपनी ऑडिटिड बैलेंसशीट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

11-सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कर्मचारी किसी भी स्थिति में नगर पालिका परिषद मोदीनगर के कर्मचारी नहीं माने जायेंगे।

VKoney.

Scanned by CamScanner

12-सेवाप्रदाता/फर्म एवं उसके अधीन कर्मचारी के आपसी विवाद से नगर पालिका परिषद मोदीनगर का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

13- कार्य पर लगे प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की सभी जिम्मेदारी सेवाप्रदाता/फर्म की होगी। ठेकेदार के किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पालिका की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

14- कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना आदि की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता/फर्म का होगा।

15-सेवाप्रदाता/फर्म को निर्धारित धनराशि के जनरल स्टॉम्प पर नियमानुसार अनुबन्ध-पत्र पर अनुबन्ध करना होगा जो स्टॉम्प उसे अपने खर्चे पर खरीदना होगा स्टाम्प शुल्क की धनराशि में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे पूरा करने की समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता/फर्म की होगी।

16-सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी लेबर को सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य कराना होगा। निर्देशो की अवहेलना/कार्य मे लापरवाही पाये जाने पर कटौती/निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

17-सेवाप्रदाता/फर्म को प्रतिमाह कार्य तिथियो मे कार्य कराने का सत्यापन सम्बन्धित विभाग प्रभारी से कराना होगा।

18-सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी लेबर द्वारा किये जा रहे कार्य का निरीक्षण/सत्यापन विभागीय अधिकारियो द्वारा किया जायेगा व तदानुसार ही किये गये कार्य/उपस्थित कर्मचारियो के अनुरुप ही भुगतान किया जायेगा। यदि सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति की जा रहीलेबर मे से कोई कर्मी अनुपस्थित पाया जाता है तो सेवाप्रदाता/फर्म की स्वीकृत ठेका धनराशि मे से नियमानुसार अनुपस्थित अवधि की आनुपातिक रुप से कटौती की जायेगी।

19- सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा शरायतनामे की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो पालिका को बिना किसी सूचना के ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा। साथ ही बिना कारण बताये ठेका निरस्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद मोदीनगर मे निहित होगा।

20-जी0एस0टी0/अन्य कर आदि का भुगतान प्रस्ताव मे पृथक से दर्शाने पर दरो पर अलग से लागू होने की दशा मे किया जा सकेगा। यदि अलग से नही दर्शाया गया तो जी0एस0टी0/अन्य कर दरो मे शामिल माना जायेगा। भुगतान किये गये जी0एस0टी0/अन्य कर आदि को सम्बन्धित कार्यालय मे जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र नियमित रुप से पालिका मे जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के देयकों-करों इत्यादि का उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता/फर्म का होगा।

21- विभाग कार्यहित मे न्यूनतम दरदाता की दरों पर अन्य फर्म से भी कार्य कराने को स्वतन्त्र होगा।

22-सेवाप्रदाता/फर्म विभाग को यह प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेगा कि वह भविष्य मे सेवायोजन सम्बन्धी किसी भी प्रकार का वाद नगर पालिका परिषद मोदीनगर के विरुद्ध दायर नही करेगा।

23- ठेका कर्मियो को नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

24- पालिका को यह अधिकार होगा कि वह इन शरायतो मे कभी भी आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि कर सकती है जिसका अनिवार्य रुप से सेवाप्रदाता/फर्म को पालन करना होगा।

25- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशो एवं उच्चाधिकारियो तथा नगर पालिका के आदेशो का अनुपालन भी सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा किया जायेगा।

26- यदि पालिका व सेवाप्रदाता/फर्म के बीच में कोई विवाद इस ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद मोदीनगर का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त वादों का क्षेत्राधिकार जनपद गाजियाबाद होगा।

27- आवश्यकतानुसार कर्मियो की संख्या घटाई/बढायी जा सकती है।

28- ठेके की समयाअवधि घटाने/बढाने का अधिकार पालिका बोर्ड को होगा।

28-02-24

(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी

(अशोक माहेश्वरी)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner